

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं० ५६/२०१८-१९

श्रीमती सुभद्रा देवी

पति- स्व० गोविन्द पाण्डेय

साकिन- गुमो, वार्ड नं०- २२

आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी पति- स्व० गोविन्द पाण्डेय, साकिन- गुमो, वार्ड नं०- २२ थाना- तिलैया, पो०- झुमरी तिलैया, जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि यथा मौजा- गुमो, थाना नं० १२, खाता नं०- ३८४, प्लॉट नं०- ६००४, रकबा- ९३ डी० मध्ये १५½ डी० से संबंधित रसीद पंजी ॥ के पेज नं० २८२, भोत्वूम ६ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सरकारी निर्गत नहीं हो रहा है।

आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी के द्वारा अपने आवेदन के साथ शपथपत्र, निबंधित केबाला एवं सरकारी रसीद संख्या- ४१९८६१ की छायाप्रति संलग्न कर ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही साथ एक आम इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक १३/१३/१८ को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई। हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गुमो थाना नं० १२ के खाता नं० ३८४ प्लॉट नं० ६००४ रकबा १५½ डी० का जमाबंदी पंजी ॥ के पेज नं० २८२/६ पर श्रीमती सुभद्रा देवी पति- गोविन्द पाण्डेय के नाम से दर्ज था पंजी ॥ के पन्ना फट जाने के कारण जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। मापी के पश्चात जमाबंदी कायम की जा सकती है, भूमि रैयती खाते की है।

अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी पति- गोविन्द पाण्डेय साकिन- गुमो द्वारा आवेदित शपथ पत्र संख्या- १५ दिनांक ३.११.२०१८ के अनुसार मौजा- गुमो, थाना नं० १२, खाता नं० ३८४, प्लॉट नं० ६००४, रकबा ९३ डी० मध्ये १५½ डी० जमीन के जाँच हेतु स्थल पर पहुँच कर नक्शे से स्थल का मिलान करते हुए आवेदिका से उक्त भूखण्ड से संबंधित जाँच हेतु कागजात की मांग की गई, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत डीड नं० २७० दिनांक ७.०१.१९६७ के अनुसार विक्रता शेख दिलावर वल्द शेख अहलाद साकिन मौजा- गुमो, थाना नं० १२, खाता नं० ३८४, प्लॉट नं० ६००४, रकबा ९३ डी० मध्ये १५½ डी० जमीन आवेदिका द्वारा क्रय किया गया है, तब से आवेदिका उक्त भूखण्ड पर शांतिपूर्वक देखल कब्जे में रहकर खेती कर रही थी, वर्तमान में जाँच के दौरान पाया गया कि जमीन कब्जे में है जो उत्तर तरफ स्थित है, एवं उक्त भूखण्ड पर २ फीट उंची चाहारदीवारी करके सीमांकित है। आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम करने हेतु अनुशंसा किया गया है। आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी पति- गोविन्द पाण्डेय के द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि मौजा- गुमो थाना नं० १२, खाता सं० ३८४, के अर्न्तगत प्लॉट सं० ६००४, रकबा १५½ डी०, संलग्न रसीद के अनुसार पुरानी पंजी ॥ के ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज नहीं हुआ है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रसीद में अंकित दाखिल खारिज वाद संख्या- ३११/१९७९-८० का मित्रान पंजी-२७ से किया एवं सही पाया।

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आधार पर मौजा- गुमो, थाना नं० १२, खाता सं० ३८४, के अर्न्तगत प्लॉट सं० ६००४, रकबा १५½ डी० भूमि का ऑनलाइन जमाबंदी आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी पति- गोविन्द पाण्डेय साकिन- गुमो, वार्ड नं०-२२, जिला कोडरमा के नाम से करने की ~~सुझाव~~ दी जाती है।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

दिविध वाद सं० 46 / 2018-19


श्रीमती सुमद्रा देवी
पति- स्व० गोविन्द पाण्डेय
साकिन- गुमो, वार्ड नं०- 22

आवेदिका, श्रीमती सुमद्रा देवी, पति- स्व० गोविन्द पाण्डेय, साकिन- गुमो, वार्ड नं०- 22, थाना- तिलैया, पो०- झुमरी तिलैया, जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि यथा मौजा- गुमो, थाना नं० 12, खाता नं०- 384, प्लॉट नं०- 6004, रकबा- 93 डी० मधे 15½ डी० से संबंधित रसीद पंजी 11 के पेज नं० 282 भोल्यूम 6 क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सरकारी निर्गत नहीं हो रहा है।

आवेदिका, श्रीमती सुमद्रा देवी के द्वारा अपने आवेदन के साथ शपथपत्र, निबंधित केवाला एवं सरकारी रसीद संख्या- 419861 की छायाप्रति संलग्न कर ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही साथ एक आम इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अमिलेख दिनांक 17/11/18 को उपस्थापित करें।


23/11/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।